



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1995]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2010/आश्विन 6, 1932

No. 1995]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2010/ASVINA 6, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2010

का.आ. 2346(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का गठन करती है।

[फा. सं. 32-3/2010-एन डी एम-1]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2010

S.O. 2346(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby constitutes the National Disaster Response Fund (hereinafter NDRF) for meeting any threatening disaster situation or disaster.

[F. No. 32-3/2010-NDM-I]

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.